न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/62/2020

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री हारून खान पुत्र जोधा खान निवासी 96 गुलाब विहार, टोंक रोड सीताबाडी पावर हाउस के पीछे जयपुर (राज0)।	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—— दिनांकः– 12.10.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 24.07.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.10.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित होकर आक्षेप पत्र पेश किया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 8157 दिनांक 12.10.2020 के माध्यम से जबाव नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 24.07.20 के क्रम में पत्रांक 7397–98 दिनांक 10.08.20 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी ने उक्त प्रेषित सूचना पर असंतोष जाहिर कर वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
6. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का मनन करने पर जाहिर हुआ कि आवेदन दिनांकः 28.07.2020 में वांछित बिन्दुवार सूचना पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ण)(ii) के विधिक प्रावधानों के तहत विनिश्चय किया जाकर उपलब्ध/संधारित रिकॉर्ड से दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी से नियमानुसार फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराया जाकर जारी की जावे। अतः अपील स्वीकार योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर

(आनन्दी) (राज0)

जिला कलेक्टर,अलवर